


25/4/18

पत्रावली CPC की धारा 89 के तहत लोक अदालत बेंच
की आयोजना करित की जाती है। पत्रावली दिनांक- 25/4/18
को राजस्व लोक
अदालत बेंच स्थान- नवावली बाखाल
समक्ष प्रस्तुत हो, तदनुसार सजा सुझाव मांगित हो।


सहायक कलेक्टर (SDO), चौहदन, मे

1-6-18

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत द्वारा
आपके द्वार 2018 के कैम्प नवावली बाखाल
में पेश हुई। वही इन्वेप्ट केम्प में
उपस्थित होकर शर्जीनामा पेश कर विवेक
विधा कि इकत वाद में शर्जीनामा होने
के कारण विद्वे कला पढाते हो अतः
इस वाद में आज्ञाकारि कार्य वही जजिरे
शर्जीनामा इसी स्तर पर समाप्त की जाती
है। पत्रावली जल सुभार होकर 3 दिवस
यफतर हो।


सहायक कलेक्टर
(SDO) चौहदन



मौजद

सामा

